# संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
सतपुड़ा भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश

महत्वपूर्ण

क्र./विनियमन/2022/ 562

भोपाल, दिनांक 28/12/2022

प्रति,

1. समस्त जिला कलेक्टर, म.प्र.।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म.प्र.।
3. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, म.प्र.।
4. अध्यक्ष, म.प्र. नर्सिंग होम एसोसिएशन, म.प्र।

विषय :– भारत सरकार, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई–दिल्ली के प्रकरण किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) के संबंध में।

संदर्भ :–
1. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई–दिल्ली का पत्र क्र. **F No. 32-375/2022-NCPCR/Misc/LC/DD774** दिनांक 07/12/2022
2. भारत का राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 01/01/2016 को अधिसूचित **The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015**
3. भारत का राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 21/09/2016 को अधिसूचित **Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Model Rules, 2016**
4. भारत का राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 01/09/2022 को अधिसूचित **Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Model Amendment Rules, 2016**

विषयांतर्गत लेख है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई–दिल्ली द्वारा संदर्भित पत्र क्र. 1 के माध्यम से लेख किया गया है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एक सांविधिक निकाय है जिसके द्वारा बाल अधिकार के सुरक्षा एवं उससे संबंधित अन्य प्रकरणों की समीक्षा की जाती है। उक्त आयोग द्वारा POCSO Act, 2012 (Protection of Children from Sexual Offences), JJ Act, 2015 (Juvenile Justice - Care and Protection of Children) व RTE Act, 2009 (Right to Eductaion) के क्रियान्वयन की निगरानी की जाती है।

माननीय राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा आदेशित किया गया है कि Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 एवं संशोधन अधिनियम, 2021, मॉडल नियम, 2016 एवं संशोधन नियम, 2022 अंतर्गत बाल संरक्षण के लिए उत्तरदायी अधिकारियों एवं स्टेक हॉल्डर्स द्वारा अधिनियम एवं नियमों में वर्णित प्रक्रियाओं का पालन किया जाना है। **(अनुलग्नक–1)**

निर्देशित किया जाता है कि:–

1. **संरक्षक से पृथक पाए गए बालकों के बारे में अनिवार्य रिपोर्टिंग [JJ Act, 2015 Section 32 (1) dated 1st Jan. 2016]** कोई व्यक्ति या कोई पुलिस अधिकारी या किसी संगठन या परिचर्या गृह/अस्पताल/प्रसूति गृह का कोई कृत्यकारी, जिसे –
   - किसी ऐसे बालक का पता चलता है या
   - उसका भारसाधन लेता है या
   - जिसे वह सौंपा जाता है जो परित्यक्त या खोया हुआ प्रतीत होता है या
   - जिसके बारे में परित्यक्त या खोए होने का दावा किया जाता है या
   - ऐसा बालक जो बिना कुटंब की संभाल के अनाथ प्रतीत होता है या
   - जिसके अनाथ होने का दावा किया जाता है

   **चौबीस घंटे के भीतर (यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर), यथास्थिति बालबद्ध सेवाओं, निकटमत** पुलिस थाने को अथवा किसी बालक कल्याण समिति को या जिला संरक्षण एकक को इत्तिला देगा या बालक को इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत बाल देख–रेख संस्था को सौंपेगा।

2. **बालकों का किसी प्रयोजन के लिए विक्रय एवं उपापन [JJ Act, 2015 Section 81 (1) dated 1st Jan. 2016]**
   - ऐसा कोई व्यक्ति, जो किसी बालक का किसी प्रयोजन के लिए विक्रया या क्रय करता है या उसे उपाप्त करता है, कठिन कारावास से, जिसकी अवधि 05 वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा और एक लाख रुपये के जुर्माने का भी दायी।
   - परन्तु जहाँ ऐसा अपराध बालक का वास्तविक भारसाधन रखने वाले किसी व्यक्ति द्वारा, जिसके अंतर्गत किसी अस्पताल या परिचर्यागृह या प्रसूतिगृह के कर्मचारी भी है, किया जाता है, वहाँ कारावास की अवधि तीन वर्ष से कम से कम की नहीं होगी और सात वर्ष तक की हो सकेगी।

3. **[Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Model Rules, 2016 sub rule 59(5) dated 21st Sept. 2016]**
   - जहाँ विशेषीकृत दत्तकग्रहण अभिकरण (Specialized Adoption Agency) अथवा नर्सिंग होम अथवा मातृत्व गृह अथवा अभिकरण संबद्ध व्यक्ति द्वारा अधिनियम की धारा 81 अंतर्गत के अधीन कोई अपराध किया जाता है, तो समिति ऐसी बाल देखभाल संस्था अथवा विशेषीकृत दत्तकग्रहण अभिकरण अथवा अस्पताल अथवा नर्सिंग होम अथवा मातृत्व गृह में रखे गए अन्य बालकों को यथा स्थिति किसी अन्य बाल देखभाल संस्था अथवा विशेषीकृत अभिकरण अथवा अस्पताल अथवा नर्सिंग होम अथवा मातृत्व गृह में रखने के उचित आदेश पारित कर सकती है।

4. **[Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Model Amendment Rules, 2016 dated 1st Sept. 2022 sub rule 59 (5A)]**
   - समिति जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष इन बच्चों एवं उनके पुर्नवास के संबंध में की गई कार्यकारी से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी।
   - जिला मजिस्ट्रेट सात दिन के भीतर किसी सुरक्षित स्थान पर बच्चों को स्थानांतरित करने तथा संस्थान को बंद करने के संबंधित कार्यवाही सुनिश्चित करेगा तथा राज्य सरकार को अभिकरण के पंजीकरण को रद्द करने की सिफारिश करेगा।

कृपया Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act एवं Rules में वर्णित प्रावधानों के अनुपालन हेतु सर्व संबंधितों द्वारा उचित कार्यवाही की जाए।

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

(डॉ. सुदाम खाडे)
आयुक्त सह सचिव स्वास्थ्य,
मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 28/12/2022

पृ. क्रमांक/विनियमन/2022/563
प्रतिलिपि :– सूचनार्थ।

1. अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई–दिल्ली (cp.ncpcr@nic.in)।
2. निज सचिव, मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपल, म.प्र.।
3. अपर मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, वल्लभ भवन, भोपाल, म.प्र.।
4. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, म.प्र.।
5. संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, म.प्र.।
6. अपर संचालक, आयोग, स्थानीय कार्यालय, म.प्र.।

आयुक्त सह सचिव स्वास्थ्य,
मध्यप्रदेश

अनुलग्नक–1

| SN | JJ Act/Rule & Date of Notification | Section/Rule | Title and Particular |
|---|---|---|---|
| 1. | **JJ Act, 2015 dated 1st Jan. 2016** | **32 (1)** | **Mandatory reporting regarding a child found seperated from guardian:** Any individual or a police officer or any functionary of any organization or a Nursing Home or Hospital or Maternity Home, who or which finds and takes charge, or is handed over a child to be an orphan without family support, shall within twenty-four hours (excluding the time necessary for the journey), give information to the Childline Services or the nearest police station or to a Child Welfare Committee or to the District Child Protection Unit, or hand over the child to a child care institution registered under this Act, as the case may be. |
| 2. | **JJ Act, 2015 dated 1st Jan. 2016** | **81** | **Sale and procurement of children for any purpose:** Any person who sells or buys a child for any purposes shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which may extend to five years and shall also be liable to fine of one lakh rupees;<br>Provided that where such offence is committed by a person having actual charge of the child, including employees of a Hospital or Nursing Home or Maternity Home, the term of imprisonment shall not be less than three years and may extend upto seven years. |
| 3. | **JJ (Care and Protection of Children) Model Rules dated 21st Sept. 2016** | **59 (5)** | **Procedure in case of offence under Section 81 of the Act:** Where any offence under Section 81 of the Act is committed by a Child Care Institution including Specialized Adoption Agency or by a Hospital or Nursing Home or Maternity Home, or a person associated with such an institution or agency, the Committee may also pass appropriate orders for placing the other children placed with such Child Care Institution or Specialized Adoption Agency or hospital or nursing home or maternity home in any other Child Care Institution or Specialized Adoption Agency or Hospital or Nursing Home or Maternity Home, as the case may be. |
| 4. | **JJ (Care and Protection of Children) Model Rules, 2022 dated 1st Sept. 2022** | **59 (5A)** | The Committee shall submit a report regarding such children and action taken regarding their rehabilitation to the District Magistrate. The District Magistrate shall ensure action regarding shifting of children to a safe place and closure of the Institution within seven days and recommend cancellation of registration of the Agency to the State Government. |